



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०,
"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक २०३९ दिनांक १०.०३.२०२१ द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं अरौनिक आपूर्ति निगम के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों पर स्थायी स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में कॉलम २ में अंकित अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम ७ में अंकित पद हेतु पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम ८ में अंकित स्थान के लिए पदस्थापित किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे पी०पी०ओ०/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अविलम्ब पदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने एवं सेवा निवृत्ति विभाग से प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा। पदस्थापित स्थान पर योगदान की तिथि से मानदेय आदि देय होगा।

क्र०	चयनित अभ्यर्थी का नाम	सेवानिवृत्ति का पद	गृह जिला	सेवानिवृत्ति का कार्यालय	कोटि	पदनाम जिसके विरुद्ध चयन किया गया है।	पदस्थापित स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री अजय कुमार सिंह	हवलदार गनर	भोजपुर	आर्मी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा पूर्णकालिक पदस्थापन क्रय शाखा, राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय, पटना
२	श्री राजदीप कुमार	नायब सबेदार (कनिष्ठ अधिकारी लिपिक)	पटना	आर्मी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	लेखा शाखा, राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय, पटना
३	श्री विजय कुमार सिंह	हवलदार (ए०सी०पी० नायक)	पटना	आर्मी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	अधिप्राप्ति शाखा, राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय, पटना
४	उमेश कुमार तिवारी	हवलदार	भोजपुर	आर्मी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, रोहतास
५	श्री उमेश सिंह	वरीय लेखा लिपिक	पूर्वी चम्पारण	वरीय-लेखा लिपिक, पथ प्रमण्डल, शिवहर	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, प० चम्पारण
६	श्री राणा प्रताप सिंह	उच्च वर्गीय लिपिक	भोजपुर	सहकारिता विभाग	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, बक्सर
७	श्री सुबोध कुमार	लिपिक	पूर्णियाँ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, अररिया
८	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	लिपिक	पटना	शिक्षा विभाग, नारायणी कन्या+२ विद्यालय, पटनासिटी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, रामस्तीपुर
९	श्री कामता कुमार	सांख्यिकी सहायक	गया	पशुपालन	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, नवादा

१०.३.२१

10	श्री श्याम नन्दन प्रसाद	लिपिक-सह-टंकक	पटना	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय प्रखण्ड रहुड़ नालंदा,	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, बाँका
11	श्री श्याम बिहारी माँझी	मुख्य कार्यालय अधीक्षक	सारण	सी०से०ई०/पुल /सोनपुर	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, कटिहार
12	श्री शशि रंजन	पेटी ऑफिसर po(RP) RP*1*	सारण	भारतीय नौसेना	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	सतर्कता शाखा पूर्णकालिक पदस्थापन प्रशासन शाखा, राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय, पटना
13	श्री परमजीत सिंह	पेटी ऑफिसर	जहाना बाद	भारतीय नौ सेना	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद
14	श्री सतीस कुमार रंजन	हवलदार	औरंगा बाद	आर्मी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, गया
15	श्री अवधेश कुमार सुमन	Pety officer	समस्ती पुर	नौसेना	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, बेगूसराय
16	सुमेश कुमार	पेटी ऑफिसर	पटना	भारतीय नौ सेना	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	सतर्कता शाखा पूर्णकालिक पदस्थापन प्रशासन शाखा, राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय, पटना
17	श्री राज कुमार गुप्ता	हवलदार	पटना	आर्मी	अ०पि० वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर
18	आमोद कुमार पंडित	साजेन्ट (कल्क जी०डी०)	वैशाली	भारतीय वायु सेना	अ०पि० वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	जनराम्पर्क शाखा पूर्णकालिक पदस्थापन परिवहन शाखा, राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय, पटना
19	श्री राकेश कुमार	सार्जेट (Met Asstt.)	छपरा(सारण)	भारतीय वायु सेना, एयरफोर्स सेन्ट्रल एकाउन्ट्स ऑफिसर(ए०एफ०सी०ए०ओ०) नई दिल्ली	अ०पि० वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज
20	श्री शाह आलम	सूबेदार, लिपिक	पटना	सूबेदार, लिपिक IHQ of MoD, New Delhi&10	अ०पि० वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	दावा शाखा, राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय, पटना
21	मो० इस्लाम	सार्जेट एम०जे० डी०	पटना	भारतीय वायु सेना	अ०पि० वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, बेगूसराय
22	मो० अबुल जैस	टंकक-सह-लिपिक	पटना	बिहार स्टेट कन्ट्रोल कारपोरेशन लि०, पटना	अ०पि० वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, प० चम्पारण

2/10/22

23	श्री राम दुलार महतो	लिपिक	बेगूसराय	शिक्षा विभाग	अ0पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ
24	गया प्रसाद मिस्त्री	प्रधान लिपिक कार्यालय	नवादा	जिला उद्योग केन्द्र साहेबगंज	अ0पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, शेखापुरा
25	मो0 कैमुद्दीन अंसारी	लिपिक	गोपाल गंज	पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गोपागलंज.	अ0पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सीवान
26	श्री गंगा दयाल सिंह	हबलदार	भोजपुर	गन मिसाईल रेजिमेंट, तेजपुर, असम	पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, कैमूर
27	श्री संजय कुमार	सार्जेंट (Equipment Asstt.)	सारण	भारतीय वायु सेना	पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सहरसा
28	श्री वेद प्रकाश	उच्चवर्गीय लिपिक	बेगूसराय	जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा	पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सहरसा
29	श्री जगनारायण सिंह	निम्नवर्गीय लेखा लिपिक	पटना	भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, सहरसा	पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर
30	श्री अजीत प्रसाद	लिपिक	नालंदा	कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना	पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, नवादा
31	श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह	उच्च वर्गीय लिपिक	मुजफ्फरपुर	निबंधन विभाग समस्तीपुर	पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी
32	श्री धर्मेन्द्र कुमार	सार्जेंट	नवादा	भारतीय वायु सेना,	अनु0 जाति	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, नालंदा
33	श्री राम चन्द्र राम	उच्चवर्गीय लिपिक	पूर्वी चम्पारण	जिला निबंधक कार्यालय	अनु0 जाति	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी
34	श्री कृष्ण देव दास	उच्चवर्गीय लिपिक	पूर्णियाँ	भवन निर्माण विभाग, अंचल, पूर्णियाँ, अधीक्षण अभियंता कार्यालय	अनु0 जाति	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, अररिया
35	श्री बसंत राम	विधि लिपिक	पटना	बिहार राज्य खाद्य एवं विनियोग लि0 बोर्डिंग कर्नॉलरोड पटना	अनु0 जाति	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, अरवल
36	श्री उमेश रजक	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	पटना	अर्थ एवं सांख्यिकी मुल्यांकन, रॉंची	अनु0 जाति	निम्नवर्गीय लिपिक	भंडारण शाखा, राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना
37	श्री कृष्णा कुमार राम	प्रधान लिपिक	औरंगाबाद	सहायक निदेशक, समाजिक, सुरक्षा कोषांग, औरंगाबाद,	अनु0 जाति	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, गया

2/10/24

- (i). अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियोजित की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में अथवा सेवा निवृत्त कार्यालय से कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
- (ii). सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- (iii). नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में ननजुडिसिएल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv). सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.7.15 के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- (v). उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
- (vi). अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
- (vii). संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्ति के विरुद्ध नियमित नियुक्ति (यथा सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्ति) के उपरान्त पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मों की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (viii). इनके द्वारा भविष्य में की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल-अचल संपत्ति से की जायेगी।
- (ix). अनुबंध की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्नियोजित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
- (x). इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत वसूलनीय होगी।
आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह 0/-

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

ज्ञापांक-3:02:136:01:2021

4895

दिनांक - 10/7/2021

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/सतर्कता पदाधिकारी/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर/कंट्रोल रूम प्रभारी को निगम के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप महाप्रबंधक प्रशासन।